ए. एल. बहरी, जे.

साधु राम - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

सरकारी खाद्य निरीक्षक, रोहतक के माध्यम से हरियाणा राज्य - *उत्तरदाता।*

***आपराधिक विविध संख्या।* 1988 *का* 5021-एम।**

30 नवंबर, 1989

भारत का संस्थान, 1950- ***कला।*** 20(3***)- दण्ड प्रक्रिया संहिता (***1974 का II) - ***धारा*** 300 - लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत - निदेशक ***केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट भिन्न-न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहली शिकायत पर कार्यवाही समाप्त करना - निदेशकद्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर*** नई शिकायत - ***ऐसी शिकायत की प्रतिमानकता।***

खाद्य पदार्थों के नमूने के विश्लेषण के संबंध में मतभेद होने के कारण, यह निदेशक की रिपोर्ट है जो लोक विश्लेषक की रिपोर्ट से आगे निकल जाती है और जाहिर है कि जब शुरू में खाद्य निरीक्षक द्वारा लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी, तो ऐसा करने का कोई कारण नहीं था।निदेशक की रिपोर्ट के ब्यौरे का संकलन करना। निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद या तो मूल शिकायत में संशोधन किया जा सकता है या निदेशक की रिपोर्ट के विवरण के साथ एक नई शिकायत दर्ज की जा सकतीहै। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पहली शिकायत पर 22 सितंबर, 1986 के आदेश के तहत यह किया कि उन्होंने तब तक कार्यवाही बंद कर दी जब तक कि शिकायतकर्ता निदेशक केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नई शिकायत दर्ज करने का विकल्प नहीं चुनता। ऊपर बताई गई परिस्थितियों में कार्यवाही को बंद करने का मतलब मामले में तय किए गए आरोप के आरोपी को दोषी ठहराना या बरी करना नहीं है। एक ही अपराध के लिए दो शिकायतें दर्ज करना दंड प्रक्रिया संहिता के किसी भी प्रावधान द्वारा निषिद्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत या संहिता की धारा 300 के तहत क्या निषिद्ध है। आपराधिक प्रक्रिया यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा बरी या दोषी ठहराया गया था, तो उसे उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ निदेशक केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के विवरण को शामिल करते हुए दूसरी शिकायत दर्ज करने पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा, इसके परीक्षण पर भी रोक नहीं लगाई गई थी। संविधान या आपराधिक संहिता के तहत प्रदान की गई रोक। प्रक्रियाकेवल तभी लागू होती है जब

किसी एक मामले में आरोपी को या तो बरी कर दिया जाता है या दोषी ठहराया जाता है। (पैरा 3)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकारी खाद्य निरीक्षक द्वारा दायर दूसरी याचिका जो अनुबंध पी 3 है और उस शिकायत के अनुसरण में तय किए गए आरोप जो अनुबंध पी 5 है, को रद्द किया जा सकता है। यह भी प्रार्थना की जाती हैकि वाद वाद में दर्ज आगे की कार्यवाही, यदि कोई हो, कोभी रद्द कर दिया जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि उपरोक्त मामले में आगे की कार्यवाही पर वर्तमान याचिका के अंतिम निपटान तक रोक लगा दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील वीरिंदर सिंह।

प्रतिवादी की ओर से आर.एस.कुंडू, डी.ए.जी.

निर्णय

ए. एल. बहरी, जे.

(1) साधु राम पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7 के साथ धारा 16 (एल) (ए) (आई) (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत 10 किलोग्राम ग्राउंड चिलपाउडर रखने के लिए अपराध करने का मुकदमा चलाया गया था, जिसका नमूना सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित मानक के अनुसार नहीं था। नमूने में पाया गया कि इसमें 11.8 प्रतिशत राख और 4.9 प्रतिशत राख अघुलनशील है जबकि अधिकतम निर्धारित मानक क्रमश: 8 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत है । नमूने में 4.5 प्रतिशत की सीमा तक धैर्य और तेल में घुलनशील लाल कोयला टार डाई भी शामिल थी, याचिकाकर्ता के कहने पर परीक्षण के लंबित रहने के दौरान, एक और **नमूना** निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया था। उक्त नमूने ने तेल में घुलनशील लाल कोल टार डाई या राख, घुलनशील और डिलहेल के साथ दूषित डिस्क्रेपेंट के अस्तित्व को नहीं दिखाया / राख डीआईडी में कोई धैर्य नहीं है। हालांकि, नमूने में मृत कीड़ों की उपस्थिति और एक बाहरी लोहे का हिस्सा स्पष्ट दिखाई दिया। शिकायतकर्ता **द्वारा** साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद और आरोपी (याचिकाकर्ता) ने अपना बयान **दिया** था और रवि *घई बनाम रवि घई* मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए बचाव पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व किया था। *पंजाब राज्य* (1), मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही को तब तक बंद कर दिया जब तक कि शिकायतकर्ता खाद्य निरीक्षक निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर एक नई शिकायत दर्ज करने का विकल्प नहीं चुनता। यह आदेश22 सितंबर, 1986 को अनुलग्नक पी/2 की प्रति के साथ पारित किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर,1986 को खाद्य निरीक्षक ने नई शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर साधु राम, वर्तमान याचिकाकर्ता को तलब किया गया था। साधु राम द्वारा दूसरी शिकायत पर प्रोसीडिंग को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6 जनवरी, 1988 के *आदेश के माध्यम से* उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया । उसी दिन, उन्होंने

साधु राम *बहुत।* सरकारी भोजन के माध्यम से हरियाणा राज्य
टिकट-निरीक्षक रोहताके (ए.एल. बहरी, जे।)

याचिकाकर्ता के खिलाफ नया आरोप तय किया। याचिकाकर्ता साधु राम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की।

(2) पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद, कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर ध्यान दिया गया और इसेडिवीजन बेंच को भेज दिया गया क्योंकि यह सोचा गया था कि *रवि घई के* मामले (सुप्रा) में फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है; विस्तृत कारण दिनांकित आदेश में दिए गए थे; 5 सितंबर, 1988 :-

> "क्या निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पाए गए मिलावटी खाद्य पदार्थों के विशेष ^ को सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर शुरू में खाद्य विशेषज्ञ द्वारा दायर शिकायत में शामिल करने की आवश्यकता है, जो निदेशक, केंद्रीय खाद्य श्रम विभाग की रिपोर्ट से प्रमाणित है।

डिवीजन बेंच ने 23 अगस्त, 1989 को इस प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार दिया: –

> "जैसा कि निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट लोक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान लेती है, यह इस प्रकार है कि यदि उस व्यक्ति का अभियोजन किया जाता है जिससे नमूना लिया गया था

(1) 1985 (1) सी.एल.आर. 392,

> यदि निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की शिकायत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और यह या तो निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट को शामिल करने के लिए मूल शिकायत में संशोधन करके या मूल शिकायत को वापस लेकर और ऐसी रिपोर्ट के आधार पर नई शिकायत दर्ज करके किया जा सकता है। निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला।

(3) मैंनेपक्षकारों के वकीलों को सुना है। अब, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर दूसरी शिकायतसंविधान के अनुच्छेद

20 (3) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के प्रावधानों के मद्देनजर आगे नहीं बढ़ सकती है। आगे तर्क यह है कि मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम चरण में यानी आरोप तय करने के बाद कार्यवाही को बंद करने के समान है, जो आरोपी को बरी करने के समान है। इसप्रकार, याचिकाकर्ता पर एक बार मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे बरी कर दिया गया है, उस पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मैंने इस तर्क पर उचित विचार किया है, हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपील नहीं की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खाद्य पदार्थ के नमूने के विश्लेषण के संबंध में मतभेद होने के कारण, यह निदेशक की रिपोर्ट है जो लोक विश्लेषक की रिपोर्ट से आगे है और स्पष्ट रूप से जब सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य निरीक्षक द्वारा शुरू में शिकायत दर्ज की गई थी, निदेशक की रिपोर्ट के ब्यौरे को शामिल करने का कोई अवसर नहीं था। निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद या तो मूल शिकायत में संशोधन किया जा सकता है या निदेशक की रिपोर्ट के विवरण को शामिल करते हुए एक नया मामला दायर किया जा सकताहै। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 22 सितंबर, 1986 के आदेश के *तहत* पहली शिकायत पर जो किया, वह यह था कि उन्होंने तब तक कार्यवाही बंद कर दी जब तक कि शिकायतकर्तानिदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नई शिकायत दर्ज करने का विकल्प नहीं चुनता। ऊपर बताई गई परिस्थितियों में कार्यवाही को हटाना मामले में तय किए गए आरोपों के लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने या बरी करने के मामले के अंतिम निर्णय के बराबर नहीं है। उक्त आदेश पारित होने के बाद फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेजने का आदेश दिया गया। यह केवल यह इंगित करता है कि उक्त समिति पर अंतिम निर्णय के बिनाइसे रिकॉर्ड रूम में भेजने का आदेश दिया गया था। नई शिकायत के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पिछली शिकायत का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया है। एक ही अपराध के लिए दो शिकायतें दर्ज करना दंड प्रक्रिया संहिता के किसी भी प्रावधान द्वारा निषिद्ध नहीं है। संविधान की धारा 20 (3) या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के तहत जो प्रावधान है, वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा बरी या दोषी ठहराया गया था, तो उस पर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस आदेश के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुएयह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 22 सितंबर, 1986 के आदेश द्वारा या तो बरी

कर दिया गया था या दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के विवरण को शामिल करते हुए दूसरी शिकायत दर्ज करनेपर रोक नहीं लगाई गई थी। इसकेअलावा, इसके परीक्षण पर भी रोक नहीं लगाई गई थी। संविधान या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान की गई रोक केवल तभी लागू होती है जब किसी एक मामले में आरोपी को या तो बरी कर दिया जाता है या दोषी ठहराया जाता है।

(4) राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान कार्यवाही को वापस लेने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, को सत्र न्यायालय के समक्षएक पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी गई थीऔर यह अंतिम हो गया है। इस बिंदु पर आगे टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति न्याय के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त है ।

(5) जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, खाद्य निरीक्षक के लिए दो पाठ्यक्रम खुले थे या तो वह निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अंशों को शामिल करने के लिए पहली शिकायत में संशोधन करे औरप्रभार में संशोधन करवाए और कार्यवाही को अंतिम रूप दे या उक्त शिकायत को वापस ले और निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर नई शिकायत दर्ज करे। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला। वर्तमान मामले में, दूसरा रास्ता अपनाया गया था जो कानून में स्वीकार्य था।

(6) याचिका में कोई दम नहीं पाए जाने पर इसेखारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा।